

संघ लोक सेवा आयोग
भर्ती-II अनुभाग

पुनः जांच अंतिम संवीक्षा / शॉर्टलिस्टिंग विवरण	
पद का नाम	न्यायालयी विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक निदेशक (प्राक्षेपिकी) के 01 (एक) पद (अनारक्षित-01) के लिए भर्ती।
विज्ञापन सं.	01/2021
रिक्ति सं.	21010109209

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा और शॉर्टलिस्टिंग का विवरण आरम्भ में ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 27.04.2022 को अपलोड कर दी गई थी।
- उम्मीदवारों को दिनांक 11.05.2022 तक ई-मेल के माध्यम से अपने अभ्यावेदन को व्यक्त करने के लिए एक विंडो दी गई थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी परन्तु जैसा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था, उनमें से किसी भी मेल का कोई व्यक्तिगत जवाब नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यह आश्वस्त किया गया था कि संशोधित संवीक्षा तथा शॉर्टलिस्टिंग का विवरण यथा समय अपलोड कर दिया जाएगा।
- कुल 02 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और आयोग द्वारा अपनाए गए एवं अनुमोदित शॉर्टलिस्टिंग मानदंड और तौर-तरीकों को देखते हुए, ऑनलाइन भर्ती आवेदन में दावा किए गए आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय योग्यता के संदर्भ में उनके ऑनलाइन भर्ती आवेदनों के साथ दोनों अभ्यावेदनों की जांच की गई है। 01 उम्मीदवार के आवेदन पत्र की अस्वीकृति क्रम में पाई गई और उसी को बनाए रखा गया है। 01 उम्मीदवार का आवेदन पत्र विचारार्थ क्षेत्र में नहीं है।
- तदनुसार, संवीक्षा में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है और यह निम्नानुसार अपरिवर्तित है:-

अनिवार्य योग्यताएं

शैक्षिक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक स्तर पर भौतिकी या गणित या न्यायालयी (फॉरेंसिक) विज्ञान एक विषय के साथ भौतिकी / गणित / न्यायालयी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष* ।

टिप्पणी :- *विज्ञान स्नातकोत्तर (अनुप्रयुक्त भौतिकी) को समकक्ष के रूप में लिया जा सकता है।

अनुभव : **संगत क्षेत्र में विश्लेषणात्मक पद्धतियों / अनुसंधान में पांच वर्ष का अनुभव ।

टिप्पणी : **संगत क्षेत्र में अनुभव का अभिप्राय प्राक्षेपिकी / भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान / विश्लेषणात्मक अनुभव ।

वांछनीय योग्यता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री या समकक्ष ।

**अपनाई गई
कार्य
प्रणाली**

- i. संवीक्षा ऑनलाइन की गई । पहले, उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की गई सूचना / किए गए दावों के आधार पर कंप्यूटर प्रणाली द्वारा सृजित की गई रिपोर्ट के आधार पर, और उसके बाद आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा के आधार पर, जो केवल ऐसे उम्मीदवारों के मामले में की गई, जिन्हें ऑनलाइन आवेदनों में उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना / किए गए दावों के आधार पर प्रथम दृष्टया पात्र पाया गया ।
- ii. आवेदनों की संवीक्षा पूर्ण रूप से प्रश्नगत पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है ।
- iii. उम्मीदवारों द्वारा दावा किए गए कुल अनुभव पर विचार किया गया, यदि इसके समर्थन में आवश्यक प्रमाणपत्र लगाए गए हैं ।
- iv. विज्ञापन में विनिर्दिष्ट संगत क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा गया ।
- v. यदि भर्ती नियमों और पद के विज्ञापन में विनिर्दिष्ट किए अनुसार अनुभव संगत क्षेत्र में नहीं है या परिकल्पित संगत अनुभव भर्ती नियमों में यथानिर्धारित आवश्यक अवधि से कम है, तो ऐसे उम्मीदवारों को "एलईक्यू.-ख" के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया गया । आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन जो अनुभव प्रमाणपत्र इसके समर्थन में लगाए हैं वे दावा किए गए अनुभव का समर्थन नहीं करते, ऐसे आवेदनों को भी "एलईक्यू.-ख" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।
- vi. जिन उम्मीदवारों के पास संगत अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उन्हें "एलईक्यू क" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया । ऐसे उम्मीदवार जो दावा किए गए अनुभव के कारण विचारार्थ क्षेत्र के भीतर आते हैं परंतु संवीक्षा के दौरान यथापरिकल्पित उनका संगत अनुभव भर्ती नियमों के अनुसार बढ़ाए गए अनुभव से कम लेकिन आवश्यक अनुभव से अधिक है, एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड में कमी) श्रेणी के तहत अस्वीकार कर दिया गया है।
- vii. उम्मीदवार की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड / उपलब्ध हो। अतः, जिन उम्मीदवारों ने अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड / प्रस्तुत नहीं किए हैं उनके आवेदनों को "अपूर्ण आवेदन" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया। ऐसे अनुभव प्रमाण पत्रों पर जिसमें कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट विवरण नहीं है विचार नहीं किया गया तथा "अपूर्ण" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया । इसी प्रकार, उन आवेदकों के आवेदनों को भी "अपूर्ण" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया गया, जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन जो अनुभव प्रमाणपत्र इसके समर्थन में लगाया है वे दावा किए गए सम्पूर्ण अवधि के नहीं हैं।

	<p>viii. जिन उम्मीदवारों ने न तो मार्कशीट जमा की है और न ही अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री जमा की है, उनके आवेदनों को “अपूर्ण आवेदन” श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया। यदि उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट नहीं हैं तो ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन को भी “अपूर्ण आवेदन” श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है।</p> <p>ix. शिक्षण अनुभव को प्रासंगिक नहीं माना गया है।</p> <p>x. संबंधित क्षेत्र में पीएचडी डिग्री वाले उम्मीदवारों को शोध अनुभव के लिए तीन साल का क्रेडिट दिया जाएगा। छोड़े गए डॉक्टरेट कार्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। हालांकि, जारी अनुसंधान के संबंध में अनुभव, जिसके कारण अभी तक पीएच.डी की डिग्री नहीं मिली है, की गणना की जाएगी बशर्ते अनुसंधान का क्षेत्र पद के लिए प्रासंगिक हो। लेकिन केवल तीन साल के अनुभव पर विचार किया जाएगा, भले ही वास्तविक प्रासंगिक शोध अनुभव तीन साल से अधिक का हो।</p> <p>xi नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, पंजीकरण/नामांकन प्रमाण पत्र, पंजीकरण पत्र, कार्यमुक्ति आदेशों, वेतन प्रमाण पत्र तथा स्वरोजगार प्रमाण पत्रों को अनुभव प्रमाण के तौर पर विचार नहीं किया गया है। साथ ही ‘इंटरन’, “गैर-अनुदान आधार”, अतिथि संकाय और घंटे पर आधारित अनुभव को भी प्रासंगिक अनुभव के रूप में नहीं माना गया है।</p> <p>xii. अनुभव प्रमाणपत्र आयोग के दिनांक 23/12/2010 के परिपत्र सं. एफ. 8/84/2010-भर्ती (स. एवं नी.) की शर्तों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए। तथापि, जहां भी आवेदकों ने निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, उनके अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार किया गया है [यदि अनुभव प्रमाण पत्र अन्यथा निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र के विवरण को संतुष्ट करता है]।</p> <p>xiii. कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p>
--	--

(अनारक्षित-01) पद के लिए :-

शार्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंड	अ.यो.(क) + अ.यो.(ख) 6 वर्ष बढ़ाया गया+वां.यो.
--	--

विज्ञापन के प्रत्युत्तर में 89 (अ.जा.-09, अ.पि.व.-27, ईडब्ल्यूएस-03, सामान्य-50) आवेदन प्राप्त हुए। अ.पि.व., ईडब्ल्यूएस और अ.जा. वर्ग से संबंधित आवेदनों को अनारक्षित श्रेणी के तहत माना गया है। उपरोक्त मानदंडों को अपनाकर 54 आवेदनों को जांच के लिए विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। शेष 35 आवेदन एलईसी (बढ़ाए गए मापदंड में कमी) श्रेणी के तहत खारिज कर दिए गए हैं।

01(अनारक्षित) पद की संवीक्षा :

मानदंड :- अ.यो.(क) + अ.यो.(ख) 6 वर्ष बढ़ाया गया+वां.यो.

विचारार्थ क्षेत्र के तहत आवेदनों की कुल संख्या: 54

बुलाए गए:-

अनुक्रमांक:- 02, 04, 06, 09, 20, 41, 58, 65, 69, 70, 86 (11 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

एलडीक्यू (वांछनीय योग्यता का अभाव) :- अनुक्रमांक . 54, 89 (02 उम्मीदवार)

एलईक्यू-क (अनिवार्य योग्यता में कमी-क):- अनुक्रमांक: 23, 50, 51 (03 उम्मीदवार)

एलईक्यू-ख (अनिवार्य योग्यता में कमी-ख):-

उम्मीदवार अपने दावा किए गए कुल अनुभव के कारण विचारार्थ क्षेत्र के अंदर आते हैं, लेकिन प्रासंगिक अनुभव नहीं रखते या जांच के दौरान यथापरिकल्पित उनका संगत अनुभव भर्ती नियम के अनुसार अनिवार्य अनुभव से कम है ।

अनुक्रमांक:- 03, 10, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 59, 64, 66, 67, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 85, 88 (34 उम्मीदवार)

एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड का अभाव)

उम्मीदवार अपने दावा किए गए कुल अनुभव के कारण विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन संवीक्षा के दौरान यथापरिकल्पित उनका संगत अनुभव भर्ती नियम के अनुसार बढ़ाए गए अनुभव से कम लेकिन आवश्यक अनुभव से अधिक है ।

अनुक्रमांक:- 12, 44, 76 (03 उम्मीदवार)

अपूर्ण:-

कोई अ.प्र.(ईसी) नहीं / अपूर्ण ईसी / ईसी में कार्य की प्रकृति (एनओडी) का उल्लेख नहीं / ईसी दावे से मेल नहीं खाते / ईसी में तिथियां मेल नहीं खाती/ईसी दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है।

अनुक्रमांक. 17 (01 उम्मीदवार)

कृपया ध्यान दें : शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे साक्षात्कार के लिए आयोग में आते समय अपने सभी समर्थक दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लेकर आएँ । इन्हें साक्षात्कार के दिन सत्यापित किया जाएगा और उम्मीदवारों को साक्षात्कार में केवल तभी भाग लेने दिया जाएगा जब उनके द्वारा आवेदनपत्र में इंगित किए गए सभी तथ्य मूल दस्तावेजों के अनुसार सत्य होंगे ।

उप सचिव (भ.- II)
संघ लोक सेवा आयोग

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।